न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 31/2020

1– श्री सोहन सिंह पुत्र श्री लाडूसिंह, जाति रावत
2– श्री शुभम पुत्र श्री हरिशंकर, जाति माली
3– श्री महिपाल पुत्र श्री संग्रामसिंह, जाति राजपूत
4– श्री अक्षय पुत्र श्री मदनलाल, जाति माली
5– श्री चन्देश पुत्र श्री कैलाशचन्द, जाति माली
6– श्री हेमराज पुत्र श्री बाबूलाल, जाति माली
7– श्री जयसिंह पुत्र श्री समुन्द्रसिंह, जाति रावत
8– श्री मच्छन्दरनाथ पुत्र श्री नारायणनाथ, जाति नाथ
9– श्री मुकेशनाथ पुत्र श्री बंगालीनाथ, जाति नाथ
10– श्री नौरत पुत्र श्री मोहनसिंह, जाति रावत
11– श्री डूंगरचन्द पुत्र श्री रूपचन्द, जाति माली
12– श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह, जाति रावत
13– श्री गुमानसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह, जाति रावत
14– श्री टोनीसिंह पुत्र श्री गोपीसिंह, जाति रावत

समस्त निवासीगण ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर

.......**प्रार्थीगण**

बनाम

1. ग्राभ पंचायत गनाहेड़ा
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1– श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील निगरानीकार की ओर से।
2– श्री राजीव सक्सेना, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–23.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 06.12.2019 को पारित कर उक्त प्रस्ताव की अनुपालना में श्री सोहन

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

सिंह पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत, श्री शुभम पुत्र श्री हरिशंकर जाति माली, श्री महिपाल पुत्र श्री संग्रामसिंह जाति राजपूत, श्री अक्षय पुत्र श्री मदनलाल जाति माली, श्री चन्देश पुत्र श्री कैलाशचन्द जाति माली, श्री हेमराज पुत्र श्री बाबूलाल जाति माली, श्री जयसिंह पुत्र श्री समुन्द्रसिंह, जाति रावत, श्री मच्छन्दरनाथ पुत्र श्री नारायणनाथ जाति नाथ, श्री मुकेशनाथ पुत्र श्री बंगालीनाथ जाति नाथ, श्री नौरत पुत्र श्री मोहनसिंह जाति रावत, श्री डूंगरचन्द पुत्र श्री रूपचन्द जाति माली, श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह जाति रावत, श्री गुमानसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति रावत एवं श्री टोनीसिंह पुत्र श्री गोपीसिंह, जाति रावत, समस्त निवासीगण ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर को अटल सेवा केन्द्र के सामने, ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर में दिनांक 10.12.2019 को खुली नीलामी बोली में अधिकतम बोलीदाता को 14 दुकानों को किराये पर देने के आदेश दिये गये। विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर ने राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरण संख्या 02200787335499 के आधार पर अपने पत्र क्रमांक/पसपी/पंचायत/2020/769 दिनांक 09.07.2020 से ग्राम पंचायत गनाहेड़ा की खुली नीलामी कार्यवाही दिनांक 10.12.2019 को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये। निगरानीकार ने विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2020 को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु अप्रार्थीगण ने स्वयं जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा बैठक दिनांक 06.12.2019 में प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम गनाहेड़ा में अटल सेवा केन्द्र के सामने गनाहेड़ा पुष्कर रोड़ पर निर्मित 14 दुकानों को किराये पर देने हेतु खुली नीलामी दिनांक 10.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे लगाई जायेगी। नीलामी हेतु विज्ञप्ति ग्राम पंचायत भवन मुख्यालय, पटवार घर, अटल सेवा केन्द्र, गांव के सार्वजनिक स्थान, बस स्टैण्ड, हथाई आदि पर चस्पा की गई। नीलामी में समस्त ग्रामवासियों ने भाग लेकर प्रत्येक दुकान हेतु पृथक–पृथक बोली लगाई गई। उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दुकान किराये पर देने हेतु बोली स्वीकार की गई, जिसमें प्रार्थीगण सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता होने पर उनके पक्ष में दुकान संख्या 1 से 14 तक बोली स्वीकार की गई। प्रार्थीगण ने आवश्यक राशि भी उसी दिवस जमा करवा दी, तत्पश्चात कारोबार प्रारम्भ किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित कर उक्त नीलामी को निरस्त कर दिया गया जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा कब व किसके सक्षम जांच की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं हुई। केवल एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर नीलामी निरस्त करने की कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि प्रार्थीगण ने सद्भाविक विश्वास के रहते नीलामी में भाग लेकर बोली लगाई, मूल्यवान धन लगाया, तत्पश्चात दुकान चलाने हेतु धन की व्यवस्था की किन्तु अब नीलामी कार्यवाही निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर प्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है जो कि दुर्भावना से ग्रसित होकर विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित एक विधिक संस्था है एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाती है। इसी विश्वास के तहत प्रार्थीगण द्वारा नीलामी में भाग लिया गया एवं राशि जमा करवाई गई। प्रार्थीगण ने किसी भी संविदा या शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उच्चतम बोलीदाता होने के बावजूद तकनीकी खामी बताकर नीलामी निरस्त किया जाना विधिपूर्ण व न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही किराये पर देने हेतु दुकानों का निर्माण करवाया गया था एवं सामान्य अनुक्रम में स्थानीय ग्रामीणों को ही वरीयता दिया जाना विधिपूर्ण है। विकास अधिकारी पीसांगन ने ग्राम के बाहर के व्यक्तियों हेतु दुकानों को किराये पर देने व स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन का जो कारण अंकित किया है, वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व सहायक विकास अधिकारी द्वारा किस प्रकार से जांच की गई, जांच के क्या बिन्दु थे, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त जांच में न तो शामिल किया गया एवं न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया, जबकि आक्षेपीय आदेश से सबसे ज्यादा प्रार्थीगण ही पीड़ित व प्रभावित हैं। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी स्वीकार कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 09.07.2020 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा बैठक दिनांक 06.12.2019 को प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसरण में पंचायत के स्वामित्व की पूर्व में निर्मित खाली दुकानों को किराये पर उपलब्ध कराने व राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से खाली दुकानों को किराये पर देने हेतु खुली नीलामी बोली द्वारा एक विज्ञप्ति दिनांक 10.12.2019 को ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं पंचायत की सार्वजनिक जगहों जैसे पटवार घर, अटल सेवा केन्द्र, बस स्टैण्ड, हथाई आदि पर चस्पा कर आव्हान किया गया। उक्त खुली नीलामी सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमों के अन्तर्गत युवा एवं ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायत की आमदनी की बढोतरी करने एवं दुकानों को अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से नियमानुसार की गई थी। उक्त खुली नीलामी की कार्यवाही में ग्राम के बाहरी व्यक्तियों का कोई हित नहीं होकर गांव के ही लोगों का हित होने से व्यापक व सम्पूर्ण प्रचार प्रसार गांव में करवा दिया गया था एवं वार्ड पंचों को भी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई थी। खुली नीलामी में ग्रामवासियों ने पूर्ण भाग लिया व उच्चतम बोलीदाता को दुकानों का आवंटन कर दिया गया। इसके पश्चात राजकोष में राशि जमा करवाकर मौके पर भौतिक कब्जा भी उच्चतम बोलीदाता को प्रदान कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि राजनैतिक व सामाजिक द्वेषता रखने वाले ग्रामवासियों में से ही कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

जिस पर खुली नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित होने के छः माह से अधिक समय पश्चात आक्षेपीय आदेश पारित कर खुली नीलामी को निरस्त कर दिया गया। अन्त में उन्होने कथन किया कि समस्त तथ्यों के मध्यनजर उचित व न्यायिक आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन के आक्षेपीय आदेश/पत्र दिनांक 09.07.2020 में ग्राम पंचायत, गनाहेड़ा द्वारा प्रार्थीगण को खुली नीलामी के माध्यम से 14 दुकानें किराये पर देने के सम्बन्ध में की गई जांच का उल्लेख किया गया है। इस जांच के सम्बन्ध में निगरानीकार ने निगरानी याचिका में भी कथन किया है किन्तु उक्त जांच रिपोर्ट न तो निगरानी के साथ एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत, गनाहेड़ा द्वारा बैठक दिनांक 06.12.2019 में प्रस्ताव संख्या 04 पारित किया जाकर विधिवत विज्ञप्ति जारी कर ग्राम के सार्वजनिक एवं मुख्य स्थानों पर चस्पा की गई है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों को भी जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं व्यापक व सम्पूर्ण प्रचार–प्रसार किया जाकर स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाये जाने के तथ्य भी जाहिर हुए हैं। ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा आयोजित सार्वजनिक खुली नीलामी दिनांक 10.12.2019 में ग्रामवासियों ने भाग लिया, तत्पश्चात विधिवत प्रक्रिया के तहत उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दुकानें किराये पर देने की बोली स्वीकार की गई एवं मौके पर भौतिक कब्जा उच्चतम बोलीदाता को प्रदान किया गया। उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा विवादित दुकानों की खुली नीलामी हेतु विधिवत रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पादित की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में दुकानें किराये पर देने हेतु बोली स्वीकार की गई है। ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा दुकानों का आवंटन विधिपूर्ण व न्यायोचित रूप से किया गया है एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होकर समस्त शर्तों की पालना किया जाना पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश/पत्र क्रमांक 769 दिनांक 09.07.2020 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर